

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—08 / 2010  
 संस्थित दिनांक—06.01.2010  
 फाइलिंग क.234503001102010

वन परिक्षेत्र उत्तर लामता, सामान्य  
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

1—रेवाराम पिता सिद्धु गोंड, उम्र—43 वर्ष,  
 निवासी—ग्राम लोटमारा, थाना परसवाड़ा, तहसील बैहर,  
 जिला बालाघाट(म.प्र.)

2—गरम लाल पिता नाथू गोंड, उम्र—50 वर्ष,  
 निवासी—ग्राम लोटमारा, थाना परसवाड़ा, तहसील बैहर,  
 जिला बालाघाट(म.प्र.)

3—कीरत पिता रम्मू गोंड, उम्र—40 वर्ष,  
 निवासी—ग्राम लोटमारा, थाना परसवाड़ा, तहसील बैहर,  
 जिला बालाघाट(म.प्र.)

4—रमेश पिता पूसुलाल गोंड, उम्र—32 वर्ष,  
 निवासी—ग्राम लोटमारा, थाना परसवाड़ा, तहसील बैहर,  
 जिला बालाघाट(म.प्र.)

— — — — — आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक—21 / 08 / 2015 को घोषित)

1— आरोपीगण के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा—2, 9, 39, 51, 52 के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक—04.11.2009 को रात्रि 2:00 बजे ग्राम लोटमारा अंतर्गत वन परिक्षेत्र उत्तर लामता (सामान्य) जिला बालाघाट में सह आरोपीगण के साथ वन्य प्राणी जंगली सुअर, जो अनुसूची क्रमांक—3 में आता है, को लाठी व पत्थर से मारकर उसका मांस खाने के लिए काटपीट कर बंटवारा कर मांस को स्वयं के आधिपत्य में रखा।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—04.11.2009 को वन परिक्षेत्र उत्तर लामता सामान्य के अधिनस्थ कर्मचारियों को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम लोटमारा में आरोपीगण रेवाराम गोंड, गरमलाल गोंड, कीरत गोंड, रमेश गोंड ने रात्रि लगभग 2:00 बजे एक राय होकर वन्य प्राणी सुअर का मांस खाने की गरज से लाठी व पत्थर से चोट पहुंचाकर उसको मारकर, उसका मांस काट-पीटकर समान हिस्सों में बांटकर अपने घर में पकाकर खाया है। उक्त सूचना पर आरोपीगण के घर जाकर तलाशी लेने पर आरोपी रेवाराम ने अपने घर से आधा किलो मांस लाया, जिसे जप्त किया गया। आरोपीगण द्वारा जुर्म करना कबूल किया गया, जिस पर वन परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर लामता द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध पी.ओ.आर. क्रमांक—1995/17, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा—2, 9, 39, 51, 52 के तहत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौके का पंचनामा, जप्तीनामा, आरोपीगण के कथन, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा—2, 9, 39, 51, 52 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा—313 द.प्र.सं के प्रावधान अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं निर्दोष होना प्रकट कर प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक—04.11.2009 को रात्रि 2:00 बजे ग्राम लोटमारा अंतर्गत वन परिक्षेत्र उत्तर लामता (सामान्य) जिला बालाघाट में सह आरोपीगण के साथ वन्य प्राणी जंगली सुअर, जो अनुसूची क्रमांक—3 में आता है, को लाठी व पत्थर से मारकर उसका मांस खाने के लिए काटपीट कर बंटवारा कर मांस को स्वयं के आधिपत्य में रखा ?

#### विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5— साहूलाल (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना लगभग एक वर्ष से कम की सुबह 8—9 बजे की है। उसे उसके घर से वन विभाग के कर्मचारी बुलाकर रेवाराम के घर में ले गए थे और

वहां उससे दस्तावेजों में हस्ताक्षर करवा लिये। उसे नहीं मालूम कि किन कागजों में हस्ताक्षर करवाए थे। उसके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। उसने प्रदर्श पी-1 का ए से ए भाग का बयान नहीं दिया था। जप्तीनामा प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। मौके का पंचनामा प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। तिरथ के बयान प्रदर्श पी-4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। गरमलाल, रमेश, नरसराम के बयान प्रदर्श पी-5, 6, 7 पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिमागचंद, बुन्दल, असाडू, रविचंद, बाडूलाल के बयान प्रदर्श पी-8, 9, 10 एवं 11, 12 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पंचनामा प्रदर्श पी-13 से लगायत प्रदर्श पी-16 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दस्तावेज प्रदर्श पी-1 से लगायत 16 पर हस्ताक्षर उसने वन कर्मचारियों के कहने पर किया था। हस्ताक्षर क्यों करवाए थे और किसलिए करवाए थे, उसे जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त दस्तावेजों में क्या लिखा था, उसने पढ़कर नहीं देखा था और न ही उसे पढ़कर सुनाया गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह वन समीति का अध्यक्ष है, इसलिए वन कर्मचारियों के कहने पर उसने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिया। इस प्रकार साक्षी ने जप्ती अधिकारी की किसी भी कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

6— मूलचंद (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसके समक्ष कोई जप्ती या बयान की कार्यवाही नहीं हुई थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। मौका पंचनामा प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। तिरथ, गरमलाल, रमेश के बयान प्रदर्श पी-4, 5, 6 पर उसके हस्ताक्षर हैं। रेवाराम के बयान प्रदर्श पी-17 पर उसके हस्ताक्षर हैं। नरसराम के बयान प्रदर्श पी-7, दिमागचंद के प्रदर्श पी-8, बुन्दल के बयान प्रदर्श पी-9, असाडू के बयान प्रदर्श पी-10, रविचंद के बयान प्रदर्श पी-11, बाडूलाल के बयान प्रदर्श पी-12 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पंचनामा प्रदर्श पी-13, 14, 15, 16, 18, 19 पर उसके हस्ताक्षर हैं।

7— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते समय उसे पढ़कर नहीं देखा और न ही उसे पढ़कर सुनाया गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह वन समीति का अध्यक्ष है, इसलिए वन कर्मचारियों के कहने पर उसने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिया। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके समक्ष कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई। इस

प्रकार साक्षी ने जप्ती अधिकारी की किसी भी कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

8— एन.पी. निन्हावे (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—05.10.2010 को परिक्षेत्र सहायक कुमनगांव के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि रेवाराम के घर जंगली सुअर मारकर उसका मांस बनाया गया है। वह और उसका अमला मौकास्थल पर जाकर रेवाराम पिता सुद्धु के घर गए वहां पर मूलचंद, साहूलाल, शिवप्रसाद, महेश, सुरेश को पंचो के रूप में बुलाकर मौके का पंचनामा प्रदर्श पी—3 बनाया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

9— उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि आरोपी रेवाराम के घर पर तलाशी लेने पर वन्य प्राणी सुअर का डेढ़ किलो मॉस जप्त हुआ जिसकी जप्ती की कार्यवाही की गई। जंगली सुअर के मांस का पंचनामा प्रदर्श पी—20 बनाया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी रेवाराम ने बयान प्रदर्श पी—17 में बताया था कि उसके खेत के गढ़वे में वन्य प्राणी सुअर गिर गया था, तो उसके आजू—बाजू के आदमी गरमलाल को बुलाया था तथा गढ़वे में लाठी से मारा था। फिर तीनों ने सुअर को निकालकर आंगन के पीछे लाए उतने में आरोपी बुन्दल, दिमाग, रवि, असाडू, बाडूलाल आ गए फिर सभी ने मिलकर सुअर को काट—पीटकर बराबर—बराबर हिस्से में बांट लिया। आरोपी रेवाराम के उक्त बयान प्रदर्श पी—17 पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण तिरथ, गरमलाल, रमेश अपराध स्वीकार करने के बयान प्रदर्श पी—4 से प्रदर्श पी—6 में दिए थे, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। नरसराम, दिमागसिंह, बुन्दल, असाडू, रविचंद, बाडूलाल के बयान प्रदर्श पी—7 से लगायत प्रदर्श पी—12 के बयान उक्त व्यक्तियों ने दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10— उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि मांस के जांच के संबंध में पंचनामा प्रदर्श पी—13 से लगायत प्रदर्श पी—16 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पंचनामा प्रदर्श पी—18 व प्रदर्श पी—19 पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण के विरुद्ध पी.ओ.आर. की कार्यवाही की गई थी। पी.ओ.आर क्रमांक 1995/17, प्रदर्श पी—21 पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान उसने पाया कि रेवाराम, गरम, तिरथ तथा रमेश के द्वारा वन्य प्राणी सुअर को मारकर उसका मांस खाने की गरज से आपस में बंटवारा किया गया है। उसने मकान में प्रवेश करने के पूर्व पंचनामा प्रदर्श पी—22 तथा मकान से बाहन आने का पंचनामा प्रदर्श पी—23 तैयार किया था। आरोपीगण को गिरफ्तार



कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-24 एवं घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-25 तैयार किया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी रेवाराम के घर में प्रवेश करने के पहले पंचों के समक्ष अपनी तलाशी नहीं दी गई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि कथित मांस को जप्त करने के बाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। साक्षी का स्वतः कथन है कि परीक्षण हेतु चिकित्सक के पास ले जाया गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वन्य प्राणी के मांस के नष्टीकरण का पंचनामा बनाया गया था, किन्तु वह पेश नहीं किया गया। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसे मांस के अलावा सुअर के अन्य अंग नहीं मिले थे और न ही काटने-पीटने का कोई सामान मिला था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि कथित मांस केवल रेवाराम के पास से जप्त हुआ था और किसी के पास से जप्त नहीं हुआ था। इस प्रकार साक्षी के प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष द्वारा सुझाए गए उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों को स्वीकार किये जाने और उनका स्पष्टीकरण पेश न किये जाने से उसके द्वारा की गई कार्यवाही संदेहास्पद प्रकट होती है।

12— राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि घटना दिनांक-04.11.2009 को सुबह 7:30 बजे की है। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर मय स्टॉफ के रेवाराम के घर ग्राम लोटमारा गए। मकान में प्रवेश करने के पूर्व पंचनामा प्रदर्श पी-22 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। तलाशी लेने पर रेवाराम के घर से डेढ़ किलो वन्य प्राणी जंगली सुअर का मांस बाल सहित जप्त हुआ, जिसका जप्तीनामा प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी रेवाराम से वन्य प्राणी का मांस जप्त होने तथा आरोपी रेवाराम के अतिरिक्त अन्य आरोपीगण का अपराध सिद्ध पाए जाने पर गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-24 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी के विरुद्ध प्रदर्श पी-21 के अनुसार पी.ओ.आर. क्रमांक-1995/17 काटा गया, प्रदर्श पी-21 पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् उसने सहायक परिक्षेत्र अधिकारी के समक्ष प्रदर्श पी-26 के अनुसार बयान दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

13— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में उसने पी.ओ.आर में सिर्फ गवाहों के नाम लिखे हैं, उनसे हस्ताक्षर नहीं लिये हैं। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी रेवाराम के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति के पास से वन्य प्राणी से संबंधित सामग्री नहीं

मिली। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी तथा मृत सुअर के कोई भी अवशेष कहीं पर भी नहीं मिले थे। इस प्रकार साक्षी ने उसके वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा की गई, जप्ती कार्यवाही का विभागीय साक्षी के रूप में समर्थन किया है।

14— शिवसिंह बघेल (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह वर्ष 2009 में वन परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर उत्तर लामता (सामान्य) वन परिक्षेत्र वन मण्डल उत्तर (सामान्य) बालाघाट में पदस्थ था। दिनांक-04.11.2009 को आरोपीगण रेवाराम, गरमलाल, तिरथ, रमेश के द्वारा वन्य प्राणी से संबंधित किये आपराध के अंतर्गत विवेचना उपरांत उसे द्वारा परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया। परिवादपत्र प्रदर्श पी-28 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। परिवाद पेश करने के लिए वह वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-55 के अनुसार वह प्राधिकृत हैं। परिवादपत्र के साथ गवाह साहूलाल के बयान प्रदर्श पी-1, जप्तीनामा प्रदर्श पी-2, मौके का पंचनामा प्रदर्श पी-3 तथा साक्षीगण के कथन प्रदर्श पी-4 से लगायत 13, पंचनामा प्रदर्श पी-13 से लगायत 16, आरोपी रेवाराम के बयान प्रदर्श पी-17, पंचनामा प्रदर्श पी-18 व 19, वन्य प्राणी के शव का पंचनामा प्रदर्श पी-20, पी.ओ.आर. प्रदर्श पी-21, पंचनामा प्रदर्श पी-22/23 गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-24, घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी-25, वन रक्षक का बयान प्रदर्श पी-26, पशु चिकित्सक रिपोर्ट प्रदर्श पी-29 परिवाद पत्र के साथ संलग्न किया है।

15— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने प्रकरण में विवेचना नहीं की है और उसके समक्ष कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। इस प्रकार साक्षी ने केवल परिवाद पेश करने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है। यद्यपि परिवादी के रूप में इस साक्षी ने आरोपी रेवाराम के अलावा अन्य आरोपीगण के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत करने का आधार पेश नहीं किया है।

16— प्रकरण में प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि जप्ती अधिकारी एन.पी. निन्हावे (अ.सा.3) की जप्ती कार्यवाही के आधार पर संपूर्ण अभियोजन मामला निर्भर है। उक्त जप्ती अधिकारी ने अपनी साक्ष्य में मात्र आरोपी रेवाराम के घर से तलाशी लेने पर वन्य प्राणी सुअर के मांस की जप्ती होना बताया है, किन्तु उक्त जप्ती कार्यवाही का समर्थन स्वतंत्र साक्षीगण साहूलाल (अ.सा.1), मूलचंद (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। उक्त साक्षीगण साहूलाल (अ.सा.1), मूलचंद (अ.सा.2) ने

अपनी साक्ष्य में जप्ती अधिकारी की कार्यवाही से इंकार करते हुए यह बताया है कि उनके वन समीति के अध्यक्ष होने के कारण वन कर्मचारियों ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिये थे, जिन्हें उन्होंने पढ़कर नहीं देखा था। उक्त तथ्य से यह प्रकट होता है कि जप्ती अधिकारी के द्वारा उनके सामने कोई कार्यवाही न कर मात्र औपचारिकता वश दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाकर यह मामला आरोपीगण के विरुद्ध तैयार किया गया है। जप्ती अधिकारी के द्वारा कथित जप्तशुदा वन्य प्राणी के मांस की जांच कराने हेतु संचालक भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून को परीक्षण हेतु सील बंद कर भेजा जाने के संबंध में प्रदर्श पी-29 का पत्र संलग्न है, किन्तु उक्त परीक्षण रिपोर्ट अभियोजन की ओर से पेश नहीं की गई है। ऐसी दशा में कथित वन्य प्राणी के अन्य अवशेष की जप्ती हुए बिना जप्तशुदा मांस को विशेषज्ञ या वन्य जीव संस्थान की विश्लेषण की रिपोर्ट के अभाव में कथित सुअर का मांस होना प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। वास्तव में मामले में अनुसंधानकर्ता/जप्ती अधिकारी की कार्यवाही निष्पक्ष एवं पारदर्शिता पूर्ण की जाना प्रकट नहीं होती है।

17— अभियोजन की ओर से आरोपीगण से कथित जप्ती की कार्यवाही संदेह से परे प्रमाणित नहीं की गई है। आरोपीगण को किसी भी साक्षी द्वारा कथित सुअर के शिकार करते हुए अथवा उसे काटपीट करते हुए नहीं देखा गया है। कथित वन्य प्राणी सुअर के शव, उसके पहचान योग्य अवयव, चमड़ा या उसे काटपीट करने वाले हथियार की जप्ती भी न होना मामलों में तात्विक त्रुटियों व अभियोजन की कमियों की ओर ईशारा करती हैं, जिनका अभियोजन की ओर से कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया है। आरोपी रेवाराम के अलावा अन्य किसी आरोपी से कोई जप्ती की कार्यवाही किया जाना प्रकट नहीं होता है तथा उनके विरुद्ध परिवाद पेश किये जाने का मात्र उनके बयान के रूप में कथित स्वीकारोक्ति को आधार बनाया गया है। आरोपीगण के कथित स्वीकारोक्ति के बयान पर उनके हस्ताक्षर होने के तथ्य को भी प्रमाणित नहीं किया गया है और न ही स्वतंत्र साक्षीगण ने ऐसे बयान दिए जाने की पुष्टि अपनी साक्ष्य में की है। ऐसी दशा में उक्त सभी कार्यवाही त्रुटिपूर्ण एवं संदेहास्पद होने से तथा स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि आरोपीगण के द्वारा कथित वन्य प्राणी सुअर के मांस को अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखा गया था।

18— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विश्लेषण उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में वन्य प्राणी जंगली सुअर, जो अनुसूची क्रमांक-3 में आता है, को लाठी व पत्थर से मारकर उसका मांस खाने के लिए काटपीट कर बंटवारा कर मांस को स्वयं के आधिपत्य में रखा। फलस्वरूप आरोपीगण को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-2, 9, 39, 51, 52 के अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

19— आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

20— प्रकरण में आरोपीगण दिनांक-04.11.2009 से दिनांक-11.11.2009 से तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहे हैं, जिसके संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं. के तहत प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट